रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2003/माघ 1, 1924
No. 34] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2003/MAGHA 1, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2003

सं. 5/2003-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 45(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 74 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमाशुल्क की प्रति अदायगी), नियम 1995 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः ,—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इन नियमों को आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमाशुल्क की प्रति अदायगी) संशोधन नियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क की प्रति अदायगी) नियम, 1995 के नियम 4 में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, नामतः ,—

"बशर्ते कि यदि सीमा शुल्क आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि निर्यातक अथवा उसका प्राधिकृत एजेण्ट, उसके नियंत्रण से बाहर किसी कारण से, इस खण्ड के प्रावधानों का अनुपालन करने में सफल नहीं हुआ तो, वह ऐसे निर्यातक अथवा उसके प्राधिकृत एजेण्ट द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और उसमें लिखित कारणों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्यातक अथवा उसके प्राधिकृत एजेण्ट को इस खण्ड के प्रावधानों से मुक्त कर सकता है।"

[फा. सं. 609/90/2002-डी.बी.के.]

आलोक शुक्ल, अवर सचिव

टिप्पणी :—आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमाशुल्क की प्रति अदायगी) नियम, 1995 को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 36/95-सीमाशुल्क (एन.टी.), दिनांक 26 मई, 1995 द्वारा संशोधित किया गया था जिसे सा.का.नि. सं. 440 (अ), दिनांक 26 मई, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था तथा इसका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 334 (अ), दिनांक 11 मई, 1999 द्वारा अधिसूचना सं. 29/99-सीमाशुल्क (एन.टी.), दिनांक 11 मई, 1999 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2003

No. 5/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 74 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995, in clause (a), after sub-clause (iii) the following proviso shall be inserted, namely: ,—

"Provided that if the Commissioner of Customs is satisfied that the exporter or his authorized agent has, for reasons beyond his control, failed to comply with the provisions of this clause, he may, after considering the representation, if any, made by such exporter or his authorized agent, and for reasons to be recorded, exempt such exporter or his authorized agent from the provisions of this clause."

[F. No. 609/90/2002-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

Note :—The Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995 were modified vide Customs notification No. 36/95-Cus. (NT) dated 26th May, 1995, which was published in the Gazette of India (Extraordinary), vide GSR No. 440(E), dated the 26th May, 1995 and it was last amended by Notification No. 29/99-Cus (N.T.) dated the 11th May, 1999 vide GSR No. 334(E) dated the 11th May, 1999.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2003

सं. 14/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 46(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा पूर्ववर्ती वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. 28/97-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत: ,—

उक्त अधिसूचना में,

(i) शर्त (2) में, परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:,

"बशर्ते कि जहां एक रुग्ण इकाई जो बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अधिसूचित की गई है, को बाद में दूसरी यूनिट द्वारा पुनरुद्धार के लिए लिया गया है, निर्यात बाध्यता को उक्त लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाए,

और आगे बताया गया है कि एक विशेष वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए अधिक निर्यातों के कारण छोड़ दिया जाए",

(ii) शर्त (6) में, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, नामत:,—

"बशर्ते की लाइसेंस के सम्बन्ध में 12 वर्षों की कुल निर्यात बाध्यता के होने पर भी कुल निर्यात बाध्यता अवधि और आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

[फा. सं. 609/201/2001-डी.बी.के.]

आलोक झा, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं. 28/97-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 1997 की सा.का.नि. सं. 184(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के जरिए भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. सं. 704(अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2002 के जरिए अधिसूचना सं. 113/2002-सीमाशुल्क द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2003

No. 14/2003-CUSTOMS

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erestwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/97-Customs, dated the 1st April, 1997, namely :—

In the said notification,—

(i) in condition (2) for the proviso, the following provisios shall be substituted, namely,

"Provided that where a sick unit notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction is subsequently taken over by another unit for revival, the export obligation may be fulfilled within a period of 12 years from the date of issue of said license;

Provided further that export obligation of a particular year may be set off by the excess exports made in the preceding years",

(ii) in condition (6), the following proviso shall be inserted, namely.—

"Provided that in respect of licence having overall export obligation period of 12 years, further extension of overall export obligation period shall not be allowed."

[F. No. 609/201/2001-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

Note :—The principal Notification No. 28/97-Customs dated the 1st April, 1997 was published in the Gazette of India, (Extraordinary) vide G.S.R. No. 184(E), dated the 1st April, 1997 and lastly amended by Notification No. 113/2002-Customs, vide G.S.R.. No. 704(E), dated the 16th October, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2003

सं. 15/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 47(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, कॉलम (3) में क्रम सं. 167 क के सामने, (ट) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

1	2	3	4	5	6
		"(ठ) लाइनिंग, इन्टर लाइनिंग और रि-इन्फोर्समेन्ट सामग्रियाँ;			
		(ड) इन्सोल्स अथवा मिड-सोल्स और उनके लिए शीटें;			
		(ढ) शैन्क्स और वेल्ट्स;			
		(ण) टॉप कैप्स और टो पफ्स और काउन्टर्स अथवा थर्मोपलास्टिक शीटें;			
		(त) सिन्थैटिक अथवा पोलीमैरिक फोम;			
		(थ) यूनिट पैकेजिंग के लिए सभी प्रकार के पैकेजिंग बाक्स;			
		(द) रिब्स।"			

[फा. सं. 609/218/98-डी.बी.के.]

आलोक झा, अवर सचिव

टिप्पणी :—1 मार्च, 2002 की मूल अधिसूचना सं. 21/2002, भारत सरकार के राजपत्र (अ), में, सा.का.नि. सं. 118(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित हुई थी और इसमें अन्तिम संशोधन सा.का.नि. सं. 6(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2003 के तहत दिनांक 3 जनवरी की अधिसूचना सं. 4/2003-सीमाशुल्क द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2003

No. 15/2003-CUSTOMS

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely :—

In the said notification, in the Table against Sr. No. 167A, in column (3), after entry(k), the following entries shall be inserted, namely,—

1	2	3	4	5	6
		"(l) Lining, interlining and reinforcement materials,			
		(m) Insoles or mid-soles and sheets therefore,			
		(n) Shanks and Welts,			
		(o) Top caps and Toe puffs and counters or Thermoplastic sheets;			
		(p) Synthetic or polymeric foam;			
		(q) Packaging boxes of all types for unit packing,			
		(r) Ribs."			

[F. No. 609/218/98-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

Note :—The principal Notification No. 21/2002-Customs dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, (Extraordinary) vide G.S.R. No. 118(E), dated the 1st March, 2002 and last amended by Notification No. 4/2003-Customs, dated, the 3rd January, 2003 vide G.S.R. No. 6(E), dated the 3rd January, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.